भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

.....

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1059
(3 दिसम्बर, 2012 को उत्तर दिए जाने के लिए)

'मनरेगा' के अंतर्गत मजदूरी को कार्य की गुणवत्ता के साथ संबद्ध किया जाना

1059. श्री मोहम्मद अली खान :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 'मनरेगा' के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी को कार्य की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के साथ संबद्ध करने का इरादा रखती है ;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग): सभी राज्य सरकारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों को मजदूरी का भुगतान करना होता है। एमजीएनआरईजी अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा 7, 8 और 8(क) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार मजदूरी का भुगतान कार्य की मात्रा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार करना होता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची 1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि राज्य सरकार मजदूरी को कार्य की गुणवत्ता के साथ सहबद्ध करेगी और इसका भुगतान राज्य परिषद के परामर्श से प्रति वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों की अनुसूची के अनुसार किया जाएगा। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे मिट्टी, ढाल और भूगर्भीय प्रकार की विभिन्न स्थानीय स्थितियों के लिए अलग-अलग मजदूरी दर के अंतर्गत उल्लिखित कार्यों के लिए उत्पादकता मानदंड इस प्रकार बनायें कि कार्य की निर्धारित अवधि के लिए सामान्य कार्य से मजदूरी प्राप्त हो। दरों की अनुसूची बनाना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

*****